UPBJ050011262022

न्यायालय Civil Judge Senior Division/FTC/ACJM, Bijnor

पीठासीन अधिकारी– (Davender Kumar), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP02605**

मूलवाद सं० – Civil Suit/821/2022

1– "दौरान मुकदमा दिनांक 07.10.2023 को स्वर्गवास हो गया है" सीताराम उम्र 60 वर्ष पुत्र स्व0 सन्ता निवासी मौहल्ला शाहविलायत, कस्बा व परगना मण्डावर, तहसील व जिला बिजनौर।
1/1– श्रीमति सीमा आयु लगभग 42 वर्ष पुत्री स्व0 सीताराम पत्नी राजेन्द्र निवासी ग्राम गजरौला शिव परगना, तहसील व जिला बिजनौर।
1/2– श्रीमति रीना आयु लगभग 40 वर्ष पुत्री स्व0 सीताराम पत्नी अनिल निवासी ग्राम नांगल जट परगना दारानगर, तहसील व जिला बिजनौर।
1/3– श्रीमति मीना आयु लगभग 35 वर्ष पुत्री स्व0 सीताराम पत्नी संजेश निवासी ददटू माजरा कॉलोनी मकान सं0 390 चंडीगढ़।
1/4– श्रीमति रमा आयु लगभग 34 वर्ष पुत्री स्व0 सीताराम पत्नी सतीश निवासी सैक्टर 38 वैस्ट कॉलोनी चंडीगढ़।
1/5 कु0 उजाला आयु लगभग 25 वर्ष पुत्री स्व0 सीताराम निवासी मौ0 शाहविलायत बाल्मिकी बस्ती कस्बा व परगना मन्डावर जनपद बिजनौर।
1/6 संजू आयु लगभग 44 वर्ष पुत्र स्व0 सीताराम, निवासी मौ0 शाहविलायत बाल्मिकी बस्ती कस्बा व परगना मन्डावर जनपद बिजनौर
1/7 अमित आयु करीब 31 वर्ष पुत्र स्व0 सीताराम, निवासी मौ0 शाहविलायत बाल्मिकी बस्ती कस्बा व परगना मन्डावर जनपद बिजनौर
1/8 अमर आयु करीब 29 वर्ष पुत्र स्व0 सीताराम, निवासी मौ0 शाहविलायत बाल्मिकी बस्ती कस्बा व परगना मन्डावर जनपद बिजनौर

....वादी।

बनाम

1– राजू उम्र लगभग 44 वर्ष पुत्र स्व0 बदेशी जुमला,
2– सुभाष उम्र लगभग 40 वर्ष पुत्र स्व0 बदेशी जुमला,
निवासीगण मौ0 शाहविलायत कस्बा व परगना मण्डावर, तहसील व जिला बिजनौर।

.....................................प्रतिवादीगण।

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध आदेशात्मक हुक्म इम्तनाई हेतु योजित किया गया है।

2. सक्षेंप में वादपत्र का कथन है कि वादी का वाद एक किता सम्पत्ति, जिसका विवरण वाद पत्र के अन्त में दिया गया है, का मालिक व काबिज व जमाना पेशरो बादस्तूर चला आ रहा है।

Digitally signed by DAVENDER KUMAR
Date: 2024.01.08 16:54:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दौरान वाद वादी सीताराम का स्वर्गवास दिनांक 07.10.2023 को हो गया है। उसने अपनी वफात पर अपनी पांच पुत्रियां व तीन पुत्र छोड़े है जो उसके जायज वारिसान है तथा उपरोक्त वाद में पक्षकारान वादीगण 1/1 लगायत 1/8 के रूप में दर्ज है। प्रतिवादीगण जो कि सरकश व गिरोहबन्द किस्म के व्यक्ति है तथा जो अपने स्व० पिता के जीवन काल से ही रंजिश रखते है का मकान विवादित सम्पत्ति से उत्तर में है। प्रतिवादीगण जिनका विवादित सम्पत्ति से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक या वास्ता न पूर्व में कभी था और ना अब है, की मुख्य कुमंशा विवादित सम्पत्ति को अवैध रूप से हड़पने है। जिसका उन्हें कोई हक कानूनन प्रतिवादीगण को अधिकार हासिल नही है। उपरोक्त वाद दायर करने से पूर्व वादी ने एक अन्य मूलवाद सं0 475/1982 सीताराम बनाम बदेशी आदि बाबत हुक्म इम्तनाई इस अमर के साथ योजित किया था कि प्रतिवादीगण स्वंय अथवा अपने एजेन्ट व सर्वेन्ट के द्वारा विवादित सम्पत्ति जो 1982 में कच्चा मकान था, पर किसी प्रकार की अवैध तामीरात या विवादित सम्पत्ति मकान को जो वादी की ममलूका व मकबूजा सम्पत्ति हैं पर अवैध कब्जा करने से बाज रहे। इस वाद सं० 475/1982 सीताराम बनाम बदेशी आदि बअदालत सिविल जज जू०/डे० बिजनौर में दिनांक 23–12–1987 को बाहम फरीकैन तसफिया इस अमर के साथ हो गया था कि प्रतिवादी बदेशी ने विवादित आराजी पर जो अवैध तामीरात की हैं, वह बदेशी (पिता प्रतिवादीगण) अपनी स्वेच्छा से हटा लेगा। उक्त फैसले के आधार पर मूलवाद सं० 475/1982 सीताराम बनाम बदेशी आदि निर्णित फरमा दिया गया। मूलवाद स0–475/82 सीताराम बनाम बदेशी आदि मे तसफिया होने के बाबजूद भी न तो प्रतिवादीगण के पिता बदेशी ने विवादित संम्पत्ति पर अवैध तामीरात को बिस्मार किया और ना ही उपरोक्त वाद में प्रतिवादीगण जो स्व० बदेशी के पुत्र हैं ने विवादित सम्पत्ति को बिस्मार किया विरूद्ध इसके प्रतिवादीगण ने विवादित सम्पत्ति पर खिलाफ कानून बगैर वादी की रजामन्दी के विवादित सम्पत्ति पर और अधिक अवैध तामीरात कर ली। प्रतिवादीगण की कुंमशा विवादित सम्पत्ति पर अवैध कब्जा करने की है जिसका कि उनको कानूनन कोई हक व अधिकार हासिल नही है। विवादित सम्पत्ति वर्तमान में भी वादी की ममलूका व मकबूजा सम्पत्ति है। प्रतिवादीगण जो कि सरकश व गिरोहबन्द किस्म के व्यक्ति है तथा जो बजमाने पेशरो वादी से रंजिश रखते हैं की मुख्य मंशा विवादित सम्पत्ति पर अवैध कब्जा कर वादी व उसके परिवार वालो को बेदखल करने की है। वास्तविकता यह है कि विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का मकान उत्तर की तरफ है। प्रतिवादीगण का न तो विवादित आराजी से पूर्व में किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक वास्ता था ना ही वर्तमान में है। लेकिन विरूद्ध इसके प्रतिवादीगण के स्वंय पिता बदेशी ने अपने जीवन काल में विवादित आराजी पर अवैध निर्माण किया था जिसकी बाबत उपरोक्त वाद से पूर्व एक अन्य वाद वादी ने प्रतिवादीगण के पिता बदेशी के विरूद्ध श्रीमान जी की अदालत में दावा नम्बरी 475/1982 सीताराम बनाम बदेशी योजित किया था जिसमे दोनों पक्षों मे तसफिया इस अमर के साथ हो गया था कि प्रतिवादी फैसला होने की दिनांक से विवादित आराजी पर हुई अवैध तामीरात 10 दिन भीतर बिस्मार कर देगा। लेकिन न तो प्रतिवादीगण के पिता ने अवैध तामीरात बिस्मार की ना ही प्रतिवादीगण ने अवैध तामीरात बिस्मार की, बल्कि इसके साथ साथ प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी जिसमे वादी का मकान भी बना हुआ है, में वगैर वादी की इजाजत के तथा अवैध रूप से कच्ची नाली का निर्माण कर लिया है जो उत्तर से दक्षिण की तरफ है। प्रतिवादीगण उस तथाकथित कच्ची नाली से रोजमर्राह का गन्दा पानी विवादित आराजी में बहाते जो वादी के रिहायशी मकान में आ रहा है। रोजमर्राह के गन्दे पानी से वादी व उसके परिवार जनो का रहना मुश्किल हो गया है। वादी ने कई मर्तबा प्रतिवादीगण को कच्ची नाली को बिस्मार कर रोजमर्राह का गन्दा पानी बहाने को मना किया लेकिन प्रतिवादीगण जो कि सरकश गिरोहबन्द किस्म के व्यक्ति है, सुनवा नहीं हुए तथा बादी से आमादा फौजदारी है। इसके अलावा प्रतिवादी ने वादी का निजी रास्ता जो प्रतिवादीगण के मकान से पश्चिम की तरफ है तथा यह रास्ता उत्तर से दक्षिण की तरफ विवादित आराजी तथा वादी के मकान में जाता हैं, को अवैध रूप से बन्द करके उसमे पैड़ियो तथा छज्जे का निर्माण कर लिया है। इस पैड़ियो व छज्जे के निर्माण से वादी तथा उसके परिवार वालो को अपने विवादित आराजी जो वादी की ममलूका व मकबूजा सम्पत्ति है

तथा अपने मकान मे आने जाने मे अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वादी के बार बार मना करने पर प्रतिवादीगण अपनी रजामन्दी अवैध कच्ची नाली, पैड़ियाँ तथा छज्जे को बिस्मार करने को तैयार नही है तथा विरूद्व इसके प्रतिवादीगण वादी की विवादित आराजी पर अवैध कब्जा कर दीगर व्यक्ति को बेचने की धमकी दे रहे है इस कारण वश वाद दायर करने की आवश्यकता पेश आयी है।

3. प्रतिवादीगण द्वारा जबावदावा क–39 दाखिल किया गया। पत्रावली प्रतिवादीगण द्वारा वादी साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 से जिरह हेतु नियत चल रही थी, परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा पर्याप्त अवसर उपरान्त भी जिरह नहीं की गयी और दिनांक 31.01.2020 को विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा पत्रावली पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अग्रसारित किया गया।

मैंने वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस एकपक्षीय रूप से सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा वर्तमान वाद, प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पत्र के अन्त में वर्णित विवादित आराजी जिसके पूर्व में सड़क सरकारी, पश्चिम में मकान घसीटा बाल्मिकी, उत्तर में मकान प्रतिवादीगण एवं दक्षिण में खेत सैयद इरफान आदि पर बाबत आदेशात्मक निषेधाज्ञा हेतु योजित किया है। वाद पत्र के अनुसार वादी विवादित सम्पत्ति का मालिक व काबिज व जमाना पेशरो बदस्तूर चला आ रहा है। वर्तमान वाद दायर करने से पूर्व वादी ने एक अन्य मूलवाद सं0 475/1982 सीताराम बनाम बदेशी आदि बाबत हुक्मइम्तनाई दायर किया जो तसफिया के आधार पर निर्णीत हुआ था। मूलवाद सं0 475/1982 सीताराम बनाम बदेशी आदि में तसफिया होने के बावजूद भी न तो प्रतिवादीगण, जो स्व0 बदेशी के पुत्र है ने विवादित सम्पत्ति को विस्मार किया। विरूद्ध इसके प्रतिवादीगण ने विवादित सम्पत्ति पर खिलाफ कानून बगैर वादी के रजामन्दी के अधिक तामीरात कर ली है।

5. अपने कथनों के समर्थन में वादी द्वारा प्रलेखयी साक्ष्य के रूप में **सूची ग–14** से प्रमाणित प्रतिलिपि मूल वाद सं0 475/1982 सीताराम बनाम विदेशी आदि न्यायालय सिविल जज, (जू0डि0), बिजनौर ग–15/1 ता ग–15/3 व प्रमाणित प्रतिलिपि डिक्री मय तफसिया मूल वाद सं0 475/1982 सीताराम बनाम विदेशी आदि न्यायालय सिविल जज, (जू0डि0), बिजनौर ग–16/1 ता ग–15/4 एवं **सूची ग–70** से सत्य प्रतिलिपि सम्पूर्ण आदेश पत्र मूल वाद सं0 450/2017 सीताराम बनाम नगर पंचायत मण्डावर बअदालत सिविल जज (सी0डि0) बिजनौर ग–71/1 ता ग–71/5 व सत्य प्रतिलिपि वाद पत्र मूल वाद सं0 450/2017 सीताराम बनाम नगर पंचायत मण्डावर बअदालत सिविल जज (सी0डि0) बिजनौर ग–71/6 ता ग–71/10 एवं **सूची ग–76** से वादी द्वारा अमित कुमार पुत्र सीताराम निवासी मौ0 शाहबिलायत कस्बा व परगना मण्डावर जिला बिजनौर के हक में निष्पादित मुख्तारनामा खास असल रूप में क–77/1 ता ग–77/2 दाखिल किये गये है।

मैंने वादी द्वारा दाखिल दस्तावेजी साक्ष्य का गहनतापूर्वक अवलोकन किया।

6. सत्यप्रति कागज सं0 ग–15 मूलवाद सं0 475/1982 सीताराम बनाम बदेशी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वाद, वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध बाबत हुक्मदवामी के अनुतोष हेतु योजित किया गया था, जिसमें विवादित सम्पत्ति की सीमाएं पूरब में सड़क सरकारी, पश्चिम में मकान घसीटा बाल्मिकी, उत्तर में मकान बदेशी व कश्मीरी एवं दाक्षिण में खेत सैयद हसन है जो फैसले के आधार पर दिनांक 23.12.1987 को निर्णीत हो चुका है। डिक्री कागज सं0 ग–61/1 से पत्रावली पर दाखिल है। सत्यप्रति मूलवाद सं0 450/2017 सीताराम बनाम नगर पंचायत मण्डावर द्वारा अध्यक्ष इसी न्यायालय में लम्बित है। अमीन रिपोर्ट मय नक्शा नजरी कागज सं0 ग–11/1 लगायत ग–11/2 पत्रावली पर दाखिल है।

7. यद्यपि अपने कथनों के समर्थन में वादी द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में पी0डब्लू0 1 स्वयं वादी सीताराम का साक्ष्य शपथ पत्र क–57, पी0डब्लू0 2 घसीटा क–60 व पी0डब्लू0 3 डालीराम क–61 दाखिल किये गये, जिसमें साक्षीगण द्वारा वादी के कथनों का समर्थन किया है, परन्तु अपने

दावे के समर्थन में वादी द्वारा कोई अकाट्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे वह विवादित सम्पत्ति का मालिक काबिज होना साबित होता हो।

8. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि–व्यवस्था **Manager reserve Bank of India Bangalore Vs S mani, 2005, 5 SCC 100 (Three judge bench)** का ससम्मान अवलोकन किया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त विधि–व्यवस्था द्वारा संवीक्षित किया गया है कि अभिवचन सबूत का स्थान नहीं ले सकते है। यथा **(Mere Pleading of a party can not be treated as Substitute for proof),** इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि–व्यवस्था **Commissioner of Income Tax vs. Surendra Singh Pahwa] AIR 1995 All 259** का भी ससम्मान अवलोकन किया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त विधि–व्यवस्था द्वारा संवीक्षित किया गया है कि **Exparte decree cannot be passed by court without plaintiff having proved his case and by only accepting uncontroverted version of plaint. Plaintiff must prove his case even if the defendant failed to file written statement- The court has not to act blindly upon the admission of a fact made by the defendant in his W.S. Nor the court should proceed to pass judgement blindly merely because a W.S. has not been field by the defendant traversing the facts set out by the plaintiff in his plaint filed in the court.**

9. पत्रावली पर वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि मूलवाद सं0 475/1982 में दाखिल समझौते को पक्षकार द्वारा अथवा वारिसान द्वारा चुनौती दी गयी हो। अतः उक्त समझौतानामा पक्षकारों पर बाध्यकारी प्रभाव रखता है। वादी द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उक्त मूलवाद के 475/1982 के निष्पादन की कार्यवाही के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सके। दावा, वादी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 से बाधित है। **सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11** के अनुसार **"कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य–विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के, जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते है, किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य रहा है, जो ऐसे पश्चात्वर्ती वाद का या उस वाद का, जिसमें ऐसा विवाद्यक वाद में उठाया गया है, विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अन्तिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है।"**

10. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 के अनुसार अपना वाद सिद्ध करने का भार वादी पर होता है। वादी अपने वाद को सिद्ध करने में असफल रहा है। केवल प्रतिवादी की अनुपस्थिति एवं कमजोरी का लाभ वादी को नहीं दिया जा सकता। अतः वादी का वाद एकपक्षीय रूप से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी का वाद एकपक्षीय रूप से खारिज किया जाता है। पक्षकार अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 08.01.2024

(देवेन्द्र कुमार)
सिविल जज सी0डि0/
एफ0टी0सी0, बिजनौर।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 08.01.2024

(देवेन्द्र कुमार)
सिविल जज सी0डि0/
एफ0टी0सी0, बिजनौर।